

## समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

-: आदेश :-

परीक्षा नियंत्रक, बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, लालूनगर, मधेपुरा के ज्ञापांक 126 /16 दिनांक 25-01-2016 द्वारा सूचित किया गया है कि एल०एल०बी० पार्ट- I, II & III परीक्षा, 2015 दिनांक 06-02-2016 से प्रारंभ होकर दिनांक 23-02-2016 तक समय 10:00 बजे पूर्वाहन से 01:00 बजे अपराहन तक परीक्षा केन्द्र पार्वती साईस कॉलेज, मधेपुरा में सम्पन्न होगी।

उर्या प्रकार परीक्षा नियंत्रक, बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, लालूनगर, मधेपुरा के ज्ञापांक 123 /16 दिनांक 25-01-2016 द्वारा सूचित किया गया है कि Vocational Degree Course, Exam-2015 दिनांक 06-02-2016 से प्रारंभ होकर दिनांक 23-02-2016 तक दो पाली यथा 10:00 बजे पूर्वाहन से 01:00 बजे अपराहन तक एवं 02:00 बजे अपराहन से 05:00 बजे तक अपराहन तक परीक्षा केन्द्र के०पी०कॉलेज, मुरलीगंज में सम्पन्न होना निर्धारित है।

माननीय उच्च व्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में परीक्षार्थियों के भविष्य के हित में यह परम आवश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में कदाचार मुक्त सम्पन्न हो। फलस्वरूप जिला प्रशासन की जिम्मेवारी परीक्षा की पवित्रता को बनाये रखना है। ऐसी स्थिति में परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /वीक्षक /कर्मियों का कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में जवाबदेही के साथ दायित्व निर्वाहन अपेक्षित है। वर्णित परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त परीक्षा का संचालन स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचाररहित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निम्नांकित पदाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति उड़नदस्ता दल के रूप में की जाती है :-

क्र०	परीक्षा केन्द्र का नाम	उड़नदस्ता दण्डाधिकारी का नाम	उड़नदस्ता पुलिस पदाधिकारी का नाम
1	पार्वती साईस कॉलेज, मधेपुरा	श्री रवि शंकर शर्मा, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, मधेपुरा-8544412343	पु०नि० रणधीर मिश्रा, मधेपुरा-9771312637
2	के०पी०कॉलेज, मुरलीगंज	श्री संजय कुमार निराला, अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा-9473191355	श्री राजेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा-9431800034

उड़नदस्ता दल दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि परीक्षा की तिथि को यथा निर्देशित परीक्षा केन्द्रों का समय-समय पर प्रत्येक पाली में औचक निरीक्षण /परीक्षार्थियों की तलाशी सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा के दौरान कदाचार में लिप्त परीक्षार्थियों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के संगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उक्त परीक्षा केन्द्रों का जिलाधिकारी /पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा भी समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जायेगा।

अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा अपने स्तर से उक्त परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त स्टेटिक दण्डाधिकारी तथा परिचारी प्रवर, मधेपुरा पुलिस पदाधिकारी /सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। (परीक्षा कार्यक्रम की छायाप्रति संलग्न)

केन्द्राधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि उनके केन्द्र पर उड़नदस्ता दल /पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य निरीक्षी पदाधिकारी के जाने पर मुख्य द्वार को तुरंत खुलावा दें, जिससे कि केन्द्र का निरीक्षण किया जा सके।

प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त स्टेटिक दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /केन्द्राधीक्षक परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश करते समय मेन गेट पर उनकी सघन तलाशी लेंगे तथा उनके प्रवेश पत्र पर साठे गये फोटो से उनके चेहरे का मिलान कर यह युनिश्चित करेंगे कि कोई भी अनाधिकृत परीक्षार्थी अंदर प्रवेश न करें और न ही अपने साथ आपत्तिजनक सामग्री यथा- चिट-पूर्जा, मोबाइल इत्यादि लेकर परीक्षा भवन के अंदर प्रवेश करें।

सभी प्रतिनियुक्त स्टेटिक दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /केव्हाधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा भवन के अंदर वीक्षक को छोड़कर अन्य कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगे। यदि परीक्षा भवन के अंदर पानी पिलाने वाला व्यक्ति भी जाता है, उसकी भी सघन तलाशी ली जाए, ताकि वे अपने साथ चिट-पूर्जा या अन्य आपत्तिजनक सामग्री अंदर लेकर नहीं जाये।

परीक्षा भवन के अंदर प्रतिनियुक्त वीक्षक को यह निदेश दिया जाता है कि वे शत-प्रतिशत परिक्षार्थीयों के रॉल सीट से उनके प्रवेश पत्र पर सटे फोटो /हस्ताक्षर की मिलान करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि परीक्षार्थी के स्थान पर कोई भी फर्जी परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे सके। जांच के दौरान इस तरह का मामला अगर प्रकाश में आता है, तो वैसे फर्जी परीक्षार्थी को अविलम्ब परीक्षा केव्ह पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी को बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 के संगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर देंगे।

पुलिस अधीक्षक,  
मधेपुरा।

जिला दण्डाधिकारी  
मधेपुरा।

ज्ञापांक 289 गो 0, मधेपुरा, दिनांक 04-02-2016

प्रतिलिपि : पुलिस महानिरीक्षक, दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा /आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा /पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : परीक्षा नियंत्रक, बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, लालूनगर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रतिनियुक्त उड़नदस्ता दण्डाधिकारी /उड़नदस्ता पुलिस पदाधिकारी /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा / पुलिस पदाधिकारी/ सभी संबंधित केव्हाधीक्षक /थानाध्यक्ष /परिचारी प्रवर, पुलिस केव्ह, मधेपुरा/ सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

पुलिस अधीक्षक,

मधेपुरा।

जिला दण्डाधिकारी

मधेपुरा।

4/2/16

